

एसपीएमसीआईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट SPMCIL EMPLOYEES PROVIDENT FUND TRUST

एसपीएमसीआईएल/कभनि न्यास/01/2019/52/09

दिनांक: 01 अप्रैल ,2025

फैक्स/Fax: 011-43582286

E-mail: epfco@spmcil.com

परिपत्र -क.भ.नि/25-26/01/CIRCULAR -EPF/25-26/01

विषय/Sub -: अधिनियम 1952 के अंतर्गत गठित एसपीएमसीआईएल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के सदस्यों द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए स्वैच्छिक अंशदान दरों की उद्घोषणा/Declaration of VPF Rates for the year 2025-26 by the members of SPMCIL Employees Provident Fund Trust formed under 1952 Act – reg.

एसपीएमसीआईएल कर्मचारी भविष्य निधि नियम 10 के अनुसार, "उप नियम (ए) के तहत भविष्य निधि में योगदान करने वाला प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छानुसार अपने मासिक मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत से अधिक का स्वैच्छिक अंशदान भविष्य निधि में कर सकता है"।

According to SPMCIL Employees Provident Fund Rule 10, "Every member contributing to the Provident Fund under sub rule (a), herein may, if so desire, contribute voluntarily to the Provident Fund an amount exceeding 12% of his/her total monthly basic pay and dearness allowance".

2- वह सदस्य, जिसे भविष्य निधि में अपने मासिक मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत से अधिक अंशदान करने की अनुमित दी गयी है, उसे अपने आवेदन पर स्वैच्छिक अंशदान मे परिवर्तन की अनुमित साल में दो बार है अर्थात एक बार अप्रैल के महीने में और दूसरा अक्टूबर के महीने में।

A member who is permitted to contribute to the Provident Fund an amount exceeding 12% of his/her total monthly basic pay and dearness allowance shall be allowed to change the rate of voluntary contribution on his application for change in voluntary contribution twice in a year i.e. once in the month of April and another in the month of October every year.

3- इसलिए सभी सदस्य जो 12% से अधिक योगदान करना चाहते हैं, वे लिखित रूप में स्वैच्छिक भविष्य निधि योगदान फॉर्म (फॉर्म संख्या 31 (वी)) भर सकते हैं। स्वैच्छिक भविष्य निधि योगदान फॉर्म को यूनिट में अधिकारियों के पास 18.04.2025 पर या उससे पहले सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाए। सदस्यता की दर में वृद्धि या कमी के लिए प्रपत्र संलग्न है। घोषणा फॉर्म वीपीएफ घोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18.04.2025 के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Therefore all the members who wish to contribute more than 12% may fill the voluntary Provident fund contribution form (form no. 31 (V)) in writing. The voluntary Provident fund contribution form compulsorily submitted with the officials at the unit on or before 18.04.2025 positively. Form for increase or decrease of subscription's rate is attached herewith. The declaration forms will not be accepted after the last date (18.04.2025) of submission of VPF declaration form.

4- इस परिपत्र की सूचना सभी सदस्यों को दी जाए ताकि सदस्य समय पर आवेदन कर सकें। अप्रैल, 2025 माह के मई, 2025 माह में देय मासिक अंशदान को भेजते समय अंशदान की नई दरें को प्रभावी करा जाये अर्थात अप्रैल, 2025 के वेतन का आहरण अंशदान की संशोधित दरों के अनुसार किया जाए।

This circular may be brought to the notice of all the members so that members will give their request in time. The new rate of contribution shall be incorporated at the time of sending monthly contribution for the month of April, 2025 payable in May, 2025 i.e. Salary of April, 2025 must be drawn after due revised rates of subscription.

वैक्री ग्रेप्ट्री क्रिं (बंदना मोहन / Bandana Mohan)

उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ DGM (F&A)

अन्लग्नक/उपरोक्त :As Above

प्रति/To

सभी मुख्य महाप्रबंधक ,(कागज कारखाना/मुद्रणालय/टकसाल)एसपीएमसीआईएल मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.) / महाप्रबंधक वित्त ,(निगम मुख्यालय) महाप्रबंधक (तक.)/ महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) ,(निगम मुख्यालय) सभी न्यासी, एसपीएमसीआईएल भ. नि. न्यास All Chief GMs (Mints/Presses/Paper Mill), SPMCIL Chief GM (HR)/GM (Fin), Corporate Office GM(TO)/GM(IT) All Trustees, SPMCIL EPF Trust

प्रतिलिपि:

- 1) अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के कार्यालय हेतु /Office of the CMD
- 2) निदेशक (मा.सं.) के का.स./ES to Director (HR)
- 3) निदेशक (वित्त) कार्यालय/ Office of the Director (Finance)
- 4) निदेशक (तक.) के का.स./ ES to Director (T)
- 5) मुख्य सतर्कता अधिकारी के का.स. / ES to CVO, Corporate Office
- 6) सूचना पटल, निगम मुख्यालय/सभी इकाइयाँ/ Notice Board of Corporate Office/All units.
- 7) इकाइयों के न्यास सहायता केंद्र/ Trust Cell at Units.

एसपीएमसीआईएल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास-1952

SPMCIL EMPLOYEES PROVIDENT FUND TRUST-1952

16वा तल जवाहर व्यापार भवन जनपथ नई दिल्ली -110001

16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi-110001

FORM No. 31 (V)

अंशदान की न्यूनतम दरों से अधिक भविष्य निधि अंशदान की उद्घोषणा के लिए आवेदन फार्म.

<u>Application Form for Declaration of Provident Fund contribution in excess on</u> minimum rate of contribution.

	आवेदन तिथि/Date of Application
1-	सदस्य का नाम/Name of the Member
2-	पिता का नाम/Father's Name
3-	जन्म तिथि/Date of Birth
4-	विभाग/अनुभाग/Department/Section
5-	पदनाम/Designation
6-	न्यास द्वारा जारी क.भ.नि .संख्या/ EPF A/C No. Allotted by Trust
7-	इकाई में कर्मचारी कोड/Employee Code at Unit
8-	अंशदान की वर्तमान दर/Present rate of contribution
9-	स्वेछिक अंशदान की प्रस्तावित दर (अप्रैल, 2025 के वेतन से/(Proposed rate of Voluntary Contribution (from April, 2025 salary onwards)

सदस्य के हस्ताक्षर/अंग्ठा निशान/ Signature/ Thumb Expression of member

इकाई में क.भ.नि क्षारकार्य देखने वाले संबंधित अधिकारी के हस्ता . Signature of the concerned person handling EPF work at Unit